संख्या-14/2018/ 147/78-1-2018-87आई0टी0/2014

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ।
4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।
5- उपाध्यक्ष, गौतमबुद्ध नगर विकास प्राधिकरण।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के बिन्दु 3.4 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- -2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014'' को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के बिन्दु 3.4 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय में निम्न व्यवस्था की गई हैः-

3.4 इलेक्ट्रानिक मिशन निदेशालय

मिशन निदेशालय में एक स्थायी मिशन निदेशक, उप निदेशक तथा वित्त एवं प्रशासन विभाग के प्रभारियों के अतिरिक्त कन्सल्टेण्ट एवं यथाआवश्यक अन्य स्टाफ होगा।मिशन निदेशालय द्वारा निवेशकों से वार्ता की जायेगी तथा निवेशकों द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण किया जायेगा तथा नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के अनुरूप, मिशन निदेशालय द्वारा नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन वितरित किया जायेगा।

निवेश प्रस्ताव पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निवेशक को लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर इवेन्ट/ कार्यशाला/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग किया जायेगा तथा इस प्रकार के आयोजन आयोजित किये जायेंगे।

सम्बन्धित प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सम्बन्धित जिलाधिकारी निवेशक को बिजली, पानी, भूमि, वाह्य इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सहित पूर्ण समेकित पैकेज उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय को निकट सहयोग प्रदान करेंगे।

4- उपरोक्त के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित विभाग, संस्थायें, संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी इत्यादि, इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय को उपयुक्त सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश क्रमांक 641/78-1-2016-87 आईटी/2014 दिनांक 21 सितम्बर 2016 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014'' के अन्तर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित कराने के लिए पूर्णकालिक मिशन निदेशक एवं उसके अधीन स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय का गठन पूर्व में किया गया है, अतएव पूर्व शासनादेश दिनांक 21 सितम्बर 2016 के प्राविधानों को इस शासनादेश के आलोक में पढ़ा जाये। ।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2018/ 147(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राज बहादुर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in